न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व अपील संख्या : 07/2020
GCMS NO. : 2020/00238

–: अपीलान्ट्स् :–	बनाम	–: रेस्पोडेन्ट्स् :–
1. रमेशचन्द पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र 2. पूरण देवी पुत्री स्व. श्री रामचन्द्र जातियान– कुम्हार, निवासीगण– गांव निम्बोल, तहसील जैतारण, जिला– पाली (राज0)		1. गोपीचन्द पुत्र श्री मांगीलाल निवासी– पाव्या, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 2. तहसीलदार, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज0)

अपील **अन्तर्गत धारा** 75 भू–राजस्व **अधिनियम** 1956 विरूद्ध आदेश **दिनांक** 20.11.2014 **नामान्तरण संख्या 786 द्वारा तहसीलदार जैतारण जिला– पाली राजस्थान।**

तारीख रजू:.08/10/2020

उपस्थितः– 1. श्री गणपत लाल प्रजापत, अधिवक्ता, अपीलान्ट।
2. श्री चुतरा राम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, श्री राजूनाथ चौलावत, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स्।

–:: निर्णयः– **दिनॉकः 28/03/2022**

वकील मय अपीलान्ट्स ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध रेस्पोडेन्टान इस आशय की पेश की हैं कि संक्षेप्त में अपील तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्गण के पिता रामचन्द्र जी की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम सिगला पट्वार हल्का डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा संख्या 735/2 रकबा 15 बीघा में स्थित हैं। अपीलांट के पिता रामचन्द्र जी की दिनांक 24.07.2014 को देहान्त हो गया है। अपीलांट के पिता रामचन्द्र के देहान्त के पश्चात् उनके उत्तराधिकारियों में उनका पुत्र रमेशचन्द्र, पुत्री पूरणदेवी व पत्नी पतासी देवी है। इसके अलावा अपीलांट के कोई उत्तराधिकारी नहीं है। रामचन्द्र जी के पुत्र रमेश चन्द्र व पुत्री पूरण देवी इस नामान्तरण अपील में अपीलांट है। रेस्पोन्डेट गोपीचंद जो रामचन्द्र जी की संतान नहीं है न ही वैधात्तराधिकारी है, ने रामचन्द्र जी की मृत्यु के पश्चात् अपने आपको रामचन्द्र जी का पुत्र बताते हुये उपरोक्त कृषि भूमि में दिनांक 20.11.2014 को जरिये नामान्तरण संख्या 786 के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। अपीलांट द्वारा अपनी उपरोक्त पुश्तैनी कृषि भूमि पर काश्त करने के दौरान रेस्पोडेन्ट गोपीचंद ने रोक टोक की तथा अपीलांट को कहा कि उपरोक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में उसके भी नाम दर्ज है जब अपीलांट ने पटवारी से सम्पर्क किया तो अपीलांट को यह ज्ञात हुआ कि रेस्पोंडेट गोपीचंद ने रामचन्द्र जी का फौतेदेगी म्यूटेशन फर्जी तरीके से अपने नाम करने आपको रामचन्द्र जी का पुत्र बताते हुए भरवा दिया है। रेस्पोन्डेट को उपरोक्त फौतेदेगी म्यूटेशन की जानकारी प्रथम बार तब हुई जब रेस्पोन्डेट ने उपरोक्त विवादित नामान्तरण की नकल तहसील से दिनांक 17.09.2020 को प्राप्त हुई। अपीलांट को उपरोक्त कृषि भूमि के नामान्तरण संख्या 786 दिनांक 20.11.2014 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

किल प्राप्त होते ही श्रीमान जी के समक्ष यह अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। परोक्त कृषि भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त है। रेस्पोन्डेट का कभी भी परोक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। रेस्पोन्डेट गोपीचंद का उपरोक्त कृषि भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलांट की ओर से विरूद्ध रेस्पोन्डेट अन्दर म्याद मान कर स्वीकार कर विधि विरूद्ध तथा रेकर्ड से बाहर जाकर रेस्पोन्डेट गोपीचंद पुत्र मांगीलाल को गलत तरीके से रामचन्द्र की औलाद बताकर उपरोक्त कृषि भूमि का नामान्तरण संख्या 786 दिनांक 20.11.2014 को भरा गया है, में रेस्पोन्डेट गोपीचंद के नाम तक निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें। अन्य आदेश जो अपीलांट के हित में हो फरमावें।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोन्डेन्टान् को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्टान् ने जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया है कि प्रार्थनापत्र का पद संख्या एक पूर्ण रूप से सही न होने से स्वीकार नहीं है जहां तक उक्त कृषि भूमि का प्रश्न है वह पूर्ण रूप से रामचन्द्र की स्वयं की खातेदारी भूमि थी तथा उनके निधन के पश्चात उनके सभी प्रथम श्रेणी विधिक उत्तराधिकारियों का नाम राजस्व रेकर्ड में जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के द्वारा अमल दरामद किया गया। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 02 पूण्र रूप से ही न होने से अस्वीकार है क्योकि रामचन्द्र जी के निधन के पश्चात् उनके प्रथम श्रेणी विधिक उत्तराधिकारी में प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थीगण एवं हमारी माता पतासी देवी हुए, जिनका राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 786 दिनांक 20.11.2014 सम्पूर्ण तथ्यों एवं गांव की ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कर रामचन्द्र के उपरोक्त वारिसानों का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया जिसमें सरपंच महोदय, पटवारी महोदय, एवं भू अभिलेख निरीक्षक महोदय द्वारा किसी भी तरह की कोई त्रुटि कारित नहीं की गई। सम्पूर्ण तथ्यों एवं दस्तावेजों की जांच करनें के पश्चात् ही राजस्व रेकर्ड में रामचन्द्र के वारिसानों का नाम अमल दरामद किया गया है। उपरोक्त भूमि खेत खसरा संख्या 735/2 रकबा 15 बीघा में रामचन्द्र के सम्पूर्ण विधिक उत्तराधिकारियों का बराबर बराबर हक हिस्सा है, जिस कारण रामचन्द्र के निधन के पश्चात् उनके उपरोक्त विधिक उत्तराधिकारियों का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया तथा प्रत्यर्थीगण संख्या 01 गोपीचंद द्वारा अपने नाम से बने हुये परिवार कार्ड वर्ष 1992 की फोटोप्रति, पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, पैनकार्ड की प्रति एवं नये राशनकार्ड संख्या 009037015257 एवं विद्यालय के ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो कि दिनांक 16.05.1997 को [illegible] पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निम्बोल(पाली) [illegible] पंजीबद्ध हकतर्कनामा की प्रति, आवासीय भूमि का पट्टा की प्रति, [illegible] प्रमाण पत्र की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है जिस दस्तावेजों से भी स्पष्ट है कि गोपीचंद के पिता रामचन्द्र प्रजापत एवं माता पतासी देवी ही है। अपीलार्थीगण द्वारा केवल मात्र कृषि भूमि की दर बढ़ने से उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि अकेले हड़प करनें के लिये उक्त झूठे आधारों पर यह अपील मान्यवर के समक्ष प्रस्तुत की है जो खारिज किये जाने योग्य है जिसे खारिज फरमाया जावें। अतः स्थगन प्रार्थनापत्र का जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.06.14 17:45:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

स्तुत कर प्रत्यर्थी संख्या 01 गोपीचंद की ओर से निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा स्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र आधारहीन तथ्यों पर होने से उसे खारिज फरमाया जावे वं अन्य कोई आदेश जो प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में हो सादिर फरमावें।

प्रत्यर्थी गोपीचंद की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसे शामिल त्रावली किया गया। जिसमें यह कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को जानबूझकर समयावधि में सीमा में लेने के लिए अपीलार्थी द्वारा म्युटेशन नकल दिनांक 17.09.2020 को लेना बताते हुए कथन किया है जो गलत है। जबकि अपीलांट को इस बारे में पहले से ही जानकारी थी। ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही करके रामचन्द्र के विधिक वारिसान् की जांच कर नामान्तरण संख्या 786 दिनांक 20.11.2014 को स्वीकृत किया गया जिसमें कोई त्रुटि नही है। हस्तगत अपील समयावधि सीमा के आधार पर निरस्त की जावे। अपीलार्थी द्वारा अपनी माता पतासी देवी पत्नी रामचन्द्र की प्रत्यर्थी गोपीचंद विधिक संतान नही होने बाबत् कोई ठोस आधार एवं दस्तावेज पेश नही किया है। प्रत्यर्थी गोपीचंद रामचन्द्र का जायज एवं जायन्दा पुत्र है। प्रत्यर्थी द्वारा अपने नाम से जारी परिवार राशन कार्ड वर्ष 1992, पहचान पत्र, पेन कार्ड, नवीन राशन कार्ड, विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, पंजीबद्ध हकतर्कनामा, आवासीय भूमि का पट्टा, स्मरण प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत है। जिससे साफ स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी रामचन्द्र की संतान है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। हमनें उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनते हुए लिखित एवं मौखिक बहस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

1. अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट के पिता रामचन्द्र की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सिणला तहसील जैतारण के खसरा संख्या 735/2 रकबा 15-00 बीघा में अपीलांट के पिता एवं खातेदार रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 24.07.2014 को होने के पश्चात नामान्तरण संख्या 786 दिनांक 20.11.2014 तहसीलदार जैतारण द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसमें रेस्पोडेंट गोपीचंद मृतक खातेदार रामचन्द्र का उत्तराधिकारी एवं पुत्र नही होने के बावजूद उसे रामचन्द्र के उत्तराधिकारी पुत्र के रूप में दर्ज किया गया, जो विधिविरुद्ध है, क्योंकि अपीलांट की माता पतासी देवी का पूर्व में विवाह मांगीलाल पुत्र राजुराम से हुआ था, अपीलांट की माता का सामाजिक प्रथा व रुढी के तहत मांगीलाल से [illegible] समाय अपीलांट की माता पतासी देवी मांगीलाल से गर्भवती थी, अ[illegible] गोपीचंद मांगीलाल की औलाद है जिसका रामचन्द्र की संप[illegible] को प्राप्त है। अपीलांट को विवादित नामान्तरण की नकल [illegible] स्वीकार की करने पर जानकारी हुई अतः अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अ[illegible] स्वीकार की जाकर नामान्तरण 786 दिनांक 20.11.2014 को निरस्त फरमावे।

2. रेस्पोडेंट गोपीचंद की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को जानबूझकर समयावधि में सीमा में लेने के लिए अपीलार्थी द्वारा म्युटेशन नकल दिनांक 17.09.2020 को लेना बताते हुए कथन किया है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

लत है, जबकि अपीलांट को इस बारे में पहले से ही जानकारी थी। ग्राम चायत द्वारा सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही करके रामचन्द्र के विधिक वारिसान् की जांच कर नामान्तरण संख्या 786 दिनांक 20.11.2014 को स्वीकृत किया गया जिसमें कोई त्रुटि नही है। हस्तगत अपील समयावधि सीमा के आधार पर निरस्त की जाये। अपीलार्थी द्वारा अपनी माता पतासी देवी पत्नी रामचन्द्र की प्रत्यर्थी गोपीचंद वैधिक संतान नही होने बाबत् कोई ठोस आधार एवं दस्तावेज पेश नही किया है। प्रत्यर्थी गोपीचंद रामचन्द्र का जायज एवं जायन्दा पुत्र है। प्रत्यर्थी द्वारा अपने नाम से जारी परिवार राशन कार्ड वर्ष 1992, पहचान पत्र, पेन कार्ड, नवीन राशन कार्ड, विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, पंजीबद्ध हकतर्कनामा, आवासीय भूमि का पट्टा, स्मरण प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत है। जिससे साफ स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी रामचन्द्र की संतान है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पिता रामचन्द्र का सेना बीमा प्रमाण पत्र के अनुसार रामचन्द्र के नॉमिनी के रूप में पत्नी पतासी देवी, पुत्री रिता देवी, एवं पुत्र रमेशचन्द्र का अंकन है। रामचन्द्र के नाम दिनांक 30.06.2001 को ग्राम पंचायत निम्बोल द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड की अप्रमाणित प्रति में परिवार सदस्यो के रूप में पत्नी पतासी देवी, पुत्र रमेशचन्द्र व पुत्रवधु सम्पु देवी का अंकन है। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बोल दिनांक 03.11.2020 को विद्यार्थी गोपीचंद प्रजापत के नाम जारी ट्रांसफर सर्टिफिकेट में विद्यार्थी के पिता का नाम रामचन्द्र प्रजापत व माता का नाम पतासी देवी तथा जन्म तिथि 12.07.1979 अंकित है। 11वी राज्यस्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता 1989 का स्मरण प्रमाण पत्र जिसमें छात्र गोपीचंद आत्मज श्री रामचन्द्र कक्षा 5 जन्म तिथि 12.07.1979 अंकित है।

4. प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रामचन्द्र पुत्र लाबुराम प्रजापत ग्राम पंचायत निम्बोल द्वारा वर्ष 1992 में जारी परिवार राशन कार्ड एवं परिवार सदस्यो के रूप में पत्नी पतासी देवी, पुत्र गोपीचंद, पुत्र रमेशचंद्र, पुत्रवधु पिस्ता देवी तथा पौत्र फतेहचंद अंकित है। गोपीचंद निवासी वार्ड नम्बर 4 ग्राम निम्बोल के नाम विकास अधिकारी जैतारण द्वारा दिनांक 11.03.2020 को जारी परिवार राशन कार्ड में पिता का नाम रामचन्द्र अंकित है। इसी प्रकार गोपीचंद के नाम जारी भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, आयकर पैन कार्ड, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बोल द्वारा दिनांक 03.11.2020 को जारी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 11वी राज्यस्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयी [illegible] प्रतियोगिता 1989 का स्मरण प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत निम्बोल द्वारा [illegible] दिनांक 05.06.2017 को जारी आवासीय भूमि का पट्टा, विलेख श्रीमती पतासी देवी पत्नी श्री रामचन्द्र द्वारा दिनांक 06.07.2018 को श्री [illegible]चंद पुत्र श्री रामचन्द्र के पक्ष में जारी पंजीकृत हकतर्कनामा में गोपीचंद के पिता का नाम रामचन्द्र अंकित है।

5. वादग्रस्त आराजी की नामान्तरण पंजिका ग्राम सिणला के अनुसार खसरा संख्या 735/2 रकबा 15-00 बीघा के खातेदार रामचन्द्र पुत्र लाबु के फौत होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

र रमेशचन्द्र, गोपीचन्द्र, पूरणदेवी पि. रामचन्द्र, पतासी पत्नी रामचन्द्र को बतौर ारिसान नामान्तरण संख्या 786 दिनांक 20.11.2014 द्वारा दर्ज किया गया। क्त नामान्तरण पंजिका के पृष्ठ पर रामचन्द्र पुत्र लाबु फौत के वारिसान् के रूप ं पुत्र रमेशचन्द्र व गोपीचंद तथा पुत्री पूरणदेवी एवं पत्नी पतासी देवी अंकित केया हुआ है तथा नीचे पूरणदेवी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलांट पूरण देवी को जिसके नामान्तरण पंजिका पर हस्ताक्षर है, को उक्त नामान्तरण के संदर्भ मे पुर्ण ज्ञान था। अतः हस्तगत अपील अपीलांट पूरण देवी की सीमा तक अवधि पार होने से खारिज योग्य है।

6. उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर एवं प्रत्यर्थी गोपीचंद के नाम जारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निम्बोल द्वारा दिनांक 03.11.2020 को जारी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, प्रत्यर्थी के नाम ग्राम पंचायत निम्बोल द्वारा जारी आवासीय पट्टा, खातेदार रामचन्द्र की पत्नी द्वारा गोपीचंद के पक्ष में दिनांक 06.07.2018 को जारी पंजीकृत हकतर्कनामा में प्रत्यर्थी गोपीचंद के पिता का नाम रामचन्द्र अंकित है साथ ही अपीलांट के पिता रामचन्द्र के नाम जारी परिवार राशन कार्ड वर्ष 1992 में रामचन्द्र के परिवार के सदस्यो के रूप में अपीलांट एवं प्रत्यर्थी दोनो के नाम अंकित है। अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह आक्षेप किया गया है कि उनके पिता रामचन्द्र जो कि सेना में थे के सेना बीमा प्रमाण पत्र में प्रत्यर्थी गोपीचंद को नॉमिनी के रूप में दर्ज नही किया गया है इसलिए वह रामचन्द्र की संतान नही है, के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रथम तो सेना के किसी कर्मचारी द्वारा अपने सेना अभिलेख में किसी को नॉमिनी दर्ज नही करने का यह तात्पर्य नही होता कि ऐसा व्यक्ति उक्त कार्मिक का विधिक वारिसान नही है। साथ ही यह भी अवलोकनीय है कि रामचन्द्र के द्वारा बतौर पुत्री RITA DEVI को बतौर पुत्री अंकित किया हैं लेकिन अपीलांट द्वारा अपील में ऐसी किसी संतान का उल्लेख नही किया है। इसी प्रकार उक्त प्रमाण पत्र में अपीलांट पूरण देवी का नाम भी अंकित नही है। अतः प्रार्थी का यह आक्षेप अस्वीकार्य है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार हो कि प्रत्यर्थी गोपीचंद रामचन्द्र की संतान नही है। अतः हमारा विन्रम अभिमत में ग्राम पंचायत निम्बोल द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 786 दिनांक 20.11.2014 पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं जांच उपरान्त स्वीकृत किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील अपीलांट सांबत करने में पूर्णतया असफल रहे है। लिहाजा हस्तगत अपील अस्वीकार किया जाना ही संगत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भाँति साबित नही होनें एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/03/2022 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.06.14 17:45:38 IST
Reason: SelfAttested